"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर 2012—कार्तिक 30, शक 1934

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-05/2012/20-तीन.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) **की धारा 28 की उप-** धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा** मण्डल भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये,** अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

अथवा

10वीं बोर्ड परीक्षा तथा किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा **कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में** 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

2. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए, तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 7 में कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिये.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.

(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.

(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

Raipur, the 21st November 2012

NOTIFICATION

No. F 13-05/2012/20-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of Section 28 of Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Board of Secondary Education Recruitment and Promotion Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board.

Or

Should have passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject.

(2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English."

2. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 5, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board.

(2) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute, and

(3) Should have speed of 5,000 key depression per hour in Hindi computer typing."

3. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 7, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or Passed 1st year graduation course from any recognized Board/University.

(2) From any recognized Board/Institution or Shorthand and typing Council :—

(a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer.

(b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer.

(c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in Computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer.

(3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.